न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्याः 232/2024(जी.सी.एम.एस. 2024/366)

वादी	बनाम प्रतिवादीगण
1. सावित्री देवी पत्नी रूपचन्द जाति मेघवाल निवासी वार्ड नम्बर 25 श्रीकरणपुर तहसील श्रीकरणपुर।	1. ओमप्रकाश पुत्र शेराराम जाति मेघवंशी निवासी श्रीकरणपुर तहसील श्रीकरणपुर। 2. गणेशा राम पुत्र पूरा जाति मेघवंशी निवासी श्रीकरणपुर तहसील श्रीकरणपुर। 3. पेमा राम पुत्र पूरा जाति मेघवंशी निवासी श्रीकरणपुर तहसील श्रीकरणपुर। 4. परविन्द्र सिंह पुत्र गुरलाभ सिंह जाति मेघवंशी निवासी श्रीकरणपुर तहसील श्रीकरणपुर। 5. बलजिन्द्र सिंह पुत्र गुरदेव सिंह जाति मेघवंशी निवासी श्रीकरणपुर तहसील श्रीकरणपुर। 6. मंगतराम पुत्र शेराराम जाति मेघवंशी निवासी श्रीकरणपुर तहसील श्रीकरणपुर। 7. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार राजस्व, श्री करणपुर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू 02.12.2024

उपस्थितः1. श्री राजेन्द्र सिंह रमाणा, श्री सुखविन्द्र सिंह सरां अधिवक्ता वादी

दिनांकः26.05.2025

—निर्णय—

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम 1 एफ ए, पटवार हल्का 46 एफ मौडा, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के अनुसार खाता संख्या 27/01 में मुरब्बा नम्बर 40, 48, 49, 68/17 की कुल 9.537 हैक्टेयर भूमि राजस्व अभिलेख में वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त वर्णित भूमि में वादी के नाम 1.898 हैक्टेयर भूमि दर्ज है। उक्त वर्णित भूमि का वादी व प्रतिवादीगण ने वाहमी बंटवारा किया हुआ है। वाहमी बंटवारा अनुसार वादी को मुरब्बा नम्बर 48 के किला नम्बर 6 की 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 7 ता 10 प्रत्येक सालम-सालम, किला नम्बर 13 की 0.127 हैक्टेयर, किला नम्बर 14 की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 15 की 0.227 हैक्टेयर एंव मुरब्बा नम्बर 68/17 की 0.051 हैक्टेयर भूमि प्राप्त हुई है। वादी व प्रतिवादीगण ने अपने-अपने नाम की भूमि का आपसी सहमति व सुविधा अनुरूप वाहमी विभाजन अवश्य कर लिया था, लेकिन राजस्व अभिलेख में भूमि विभाजन अनुरूप पक्षकारान के नाम अलग से दर्ज नहीं हुयी है। पक्षकारान अपने हिस्सा में आयी भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज है, लेकिन राजस्व अभिलेख में भिन्न भूमि पक्षकारान के नाम से दर्ज होने के कारण पक्षकारान को भारी परशानियो का सामना करना पड़ रहा है। वादी ने आज से 2 रोज पूर्व प्रतिवादीगण से कहा कि हम पारिवारिक सम्पति विभाजन के अनुसार सहमति से बंटवारा करवाकर, अपने-अपने हिस्सा में आई भूमि को किलावाईज राजस्व अभिलेख में दर्ज करवा लेवे, तो प्रतिवादीगण ने साफ इन्कार कर दिया। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 1 एफ ए, पटवार हल्का 46 एफ मौडा, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के अनुसार खाता संख्या 27/01 में से मुरब्बा नम्बर 48 के किला नम्बर 6 की 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 7 ता 10 प्रत्येक सालम-सालम, किला नम्बर 13 की 0.127 हैक्टेयर, किला नम्बर 14 की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 15 की 0.227 हैक्टेयर एंव मुरब्बा नम्बर 68/17 की 0.051 हैक्टेयर भूमि का खाता व लगान अलग से कायम किए जाने के आदेश दिए जावे।
2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। जवाब स्टेट पेश नहीं होने पर बन्द किया गया। प्रकरण में प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश है। इसलिए प्रकरण में वाद बिन्दू कायम नहीं किए गए। वादी

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

अधिवक्ता के द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार श्रीकरणपुर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर वाद पत्र डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे।

3. पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वादपत्र मय शपथपत्र एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादी राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार काश्तकार है। वादी अपनी आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स राजस्व रिकॉर्ड दर्ज भूमि अनुसार तकासमा चाहते है। लिहाजा वादी के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवारा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी की गई कि राजस्व ग्राम 1 एफ ए, पटवार हल्का 46 एफ मौडा, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के अनुसार खाता संख्या 27/01 में मुरब्बा नम्बर 40, 48, 49, 68/17 की कुल 9.537 हैक्टेयर भूमि में से वादी के नाम 1.898 हैक्टेयर भूमि दर्ज है। जिसका माफिक राजस्व रिकॉर्ड, हिस्से माफिक भूमि का वादी सावित्री देवी के मध्य बंटवारा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाया जाकर खाता एवं लगान अलग-अलग किया जावे। **शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहें।** तहसीलदार श्रीकरणपुर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा अधिकृत किया गया तहसीलदार श्रीकरणपुर ने प्राथमिक डिक्री की पालना में बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सामिल मिसल की गई।

4. बहस वादिया अधिवक्ता सुनी गई, बहस के दौरान वादिया अधिवक्ता ने माफिक बंटवारा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी का वादपत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किये जाने की ईश्तदुआ की है। बहस अधिवक्ता, तहसीलदार श्रीकरणपुर से प्राप्त पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवारा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादी का वाद पत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किया जाना हम उचित समझते है।

-:आदेशः-

5. अतः अंतिम डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है। कि राजस्व ग्राम 1 एफ ए, पटवार हल्का 46 एफ मौडा, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के अनुसार खाता संख्या 27/01 में मुरब्बा नम्बर 40, 48, 49, 68/17 की कुल 9.537 हैक्टेयर भूमि में से वादी के नाम 1.898 हैक्टेयर भूमि का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

क्र. स.	नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु.न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान रुपए में
1	सावित्री देवी पत्नी रूपचन्द जाति मेघवाल निवासी वार्ड नम्बर 25 श्रीकरणपुर तहसील श्रीकरणपुर। (1.898 हैक्टेयर)	1 एफ ए	48	6	0.228 हैक्टेयर	नहरी	2.03
				7 ता 10	1.012 हैक्टेयर	नहरी	9.00
				13	0.127 हैक्टेयर	नहरी	1.13
				14	0.253 हैक्टेयर	नहरी	2.25
				15	0.227 हैक्टेयर	नहरी	2.02
			68/17	00	0.051 हैक्टेयर	गै.मु.खा.	0.00

शेष खाते एंव रहन बदस्तूर रहेगें। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय एक भाग माना जावेगा। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

निर्णय आज दिनांक 26.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

सावित्री देवी बनाम ओमप्रकाश आदि
धारा अन्तर्गत **53 आरटीए** मुकदमा नम्बर **232/2025**
निर्णय दिनांक :-26.05.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह रमाणा, श्री सुखविन्द्र सिंह सरां के** पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि राजस्व ग्राम 1 एफ ए, पटवार हल्का 46 एफ मौडा, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के अनुसार खाता संख्या 27/01 में मुरब्बा नम्बर 40, 48, 49, 68/17 की कुल 9.537 हैक्टेयर भूमि में से वादी के नाम 1.898 हैक्टेयर भूमि का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

क्र.स.	नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु.न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान रुपए में
1	सावित्री देवी पत्नी रूपचन्द जाति मेघवाल निवासी वार्ड नम्बर 25 श्रीकरणपुर तहसील श्रीकरणपुर। (1.898 हैक्टेयर)	1 एफ ए	48	6	0.228 हैक्टेयर	नहरी	2.03
				7 ता 10	1.012 हैक्टेयर	नहरी	9.00
				13	0.127 हैक्टेयर	नहरी	1.13
				14	0.253 हैक्टेयर	नहरी	2.25
				15	0.227 हैक्टेयर	नहरी	2.02
			68/17	00	0.051 हैक्टेयर	गै.मु.खा.	0.00

शेष खाते एंव रहन बदस्तूर रहेगें। बंटवारा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावेगा।

आज दिनांक 28.05.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	350	00	मेहनताना वकील पर	00	--
योग	354	**00**	**योग**	**00**	**00**

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)
दिनांक 28.05.2025

क्रमांकः रीडर/ 2025/321
प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)
सत्यमेव जयते